120

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1678-तीन/2006 - विरूद्ध आदेश दिनांक 20-06-2006 - पारित व्दारा - आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 103/2004-05 निगरानी

संतदास पुत्र दीपचंद वासवानी
ग्राम विरसिंहपुर पाली
तहसील पाली जिला उमरिया ---आवेदक

विरूद्ध

रामचन्द्र पुत्र नत्थूलाल जायसवाल
ग्राम विरसिंहपुर पाली
तहसील पाली जिला उमरिया -----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 20-04-2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 103/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-06-2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसील-स्तर पर भूमि सर्वे कमा 177 बंदोवस्त के वाद नया नंबर 251 के संबंध में तीन प्रकरणों में इस प्रकार कार्यवाही हुई :-

(1) ग्राम पाली की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 108 पर राजस्व निरीक्षक ने पॅजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर केता रामचन्द्र नावालिक सरपरस्त पिता नत्थूलाल का आदेश दिनांक 25.1.88 से रकबा 0.08 डि. पर नामांत्रण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर शहडौल अब उमरिया के समक्ष संतदास पिता दीपचंद ने निगरानी प्रस्तुत की है जो सॅशोधित दायरा पंजी क्रमांक 22/2002-03 पंजीबद्व हुई है।

(2) रामचन्द्र जायसवाल पुत्र नत्थूलाल ने म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109/110 के अंतर्गत आवेदन देकर ग्राम पाली की भूमि सर्वे क्रमांक 251 रकबा 0.08 डि. पर नामान्तरण की मांग की है, जिस पर नायव तहसीलदार वृत्त पाली ने प्रकरण क्रमांक 20 अ-6/92-93 पॅजीबद्व किया है तथा आदेश दिनांक 30-11-1994 पारित करके निर्णीत किया कि नामान्तरण पंजी क्रमांक 108 पर आदेश दिनांक 25-1-88 से नामान्तरण स्वीकार हो चुका है इसलिये प्रकरण चलने योग्य नहीं है। प्रकरण को निरस्त करते हुये यह भी निर्देश दिये हैं कि राजस्व निरीक्षक के नामान्तरण आदेश का पटवारी अमल करे।

(3) रामचन्द्र जायसवाल पुत्र नत्थूलाल ने तहसीलदार सोहागपुर वृत्त पाली को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 का आवेदन देकर भूमि का कब्जा दिलाये जाने की मांग की, जिस पर प्रकरण क्रमांक 6 अ-70/1994-94 पॅजीबद्व किया गया। इस प्रकरण में आवेदक ने प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत की है कि आवेदक भूमि का भूमिस्वामी नहीं है। तहसीलदार ने धारा 250 के आवेदन पर प्रकरण सुनवाई हेतु 24-4-95 को नियत किया।

उपरोक्त तीनों प्रकरणों में हुये आदेशों के विरूद्व कलेक्टर उमरिया के समक्ष निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत हुई हैं :-

(1) 22/2002-03 (2) 59/2003-03 (3) 21/2002-03

तीनों निगरानी प्रकरणों में कलेक्टर उमरिया ने संयुक्त रूप से आदेश दिनांक 1-10-2004 पारित किया है तथा नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 17-2-88 निरस्त कर दिया एंव नामान्तरण पंजी क्रमांक 108 पर पारित आदेश दिनांक 25-1-88 एंव प्रकरण क्रमांक 20 अ-6/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 30-11-1994 को यथावत् रखा है। कलेक्टर उमरिया के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 103/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-06-2006 निगरानी निरस्त कर दी। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परलिक्षित है कि कलेक्टर उमरिया के प्रकरणों में हुई कार्यवाही एंव संयुक्त रूप से पारित आदेश दिनांक 1-10-2004 का परीक्षण करने पर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 20-06-2006 में निष्कर्ष निकाला है कि व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत वाद में पारित आदेश दिनांक 19-8-99 के अनुसार भूमि खसरा क्रमांक 251 का भूमिस्वामी यद्यपि आवेदक को माना गया है किन्तु उक्त आदेश के पूर्व प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदक रामचंद जायसवाल का नाम भू अभिलेख में अंकित हो चुका था जिसकी जानकारी आवेदक संतदास को हो चुकी थी। यदि नामान्तरण पंजी क्रमांक 108 में कोई त्रृटि थी तो उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक को अपील करना चाहिए थी जो आवेदक व्दारा समय रहते नहीं की गई। नामान्तरण पंजी के आदेश दिनांक 25-1-88 के आधार पर नायव तहसीलदार सोहागपुर ने प्रकरण क्रमांक 20 अ-6/ 1992-93 में पारित

आदेश दिनांक 30-11-94 से भू अभिलेख में सुधार किया है जिसके कारण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने नायव तहसीलदार व्दारा की गई कार्यवाही को त्रृटिपूर्ण नहीं माना है और इन्हीं कारणों से आदेश दिनांक 25-1-88 एंव 30-11-94 को कलेक्टर उमरिया ने सही माना है। मुख्यरूप से वाद विचारित भूमि पर स्वत्व का मामला विनिश्चत होना है और कलेक्टर उमरिया ने स्वत्व का विनिश्चय व्यवहार न्यायालय से कराने का दायित्व निर्धारण किया है, जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 103/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-06-2006 से कलेक्टर उमरिया के संयुक्त आदेश दिनांक 1-10-2004 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एंव कलेक्टर उमरिया के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समरूप होने से विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 103/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-06-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर